उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
/ / आदेश / /

क्रमांक 662/स्था.सैट/2023 जबलपुर, दिनांक 27/02/2023

श्री शंकर पूंजाजी, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), खंडपीठ इन्दौर को ''मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्पलमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC) भोपाल द्वारा दिनांक 25.02.2023 एवं 26.02.2023 को आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा वर्ष–2023'' में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

sd/-
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ. क्रमांक 663/स्था.सैट/2023 जबलपुर, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके पत्र क्रं. प्रशा./167–ए/458 इंदौर, दिनांक 15.02.2023 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. एस.पी.एस.ए (एस.ए)., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), मुख्यपीठ जबलपुर,
5. श्री शंकर पूंजाजी, रिकार्ड सप्लायर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), खंडपीठ इन्दौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)